

U56
2024

20 $\frac{3}{25}$ पत्रावली वेडा हुई। वकूलाप फरीकत अथ।
10 मही. मात अत सुनवाई में लक्ष्य है।
अतः पत्रावली पुनः नुसार साबिक कार्रवाई
दिनांक 24-3-25 को भेजा है।

डी
रीडर
न्यायालय
एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

24 $\frac{3}{25}$ पत्रावली वेडा हुई। वकूलाप फरीकत अथ।
कार-पुसो 02 मात व्यापिक कार्य स्थगित
रखा है अतः पत्रावली पुनः नुसार साबिक
कार्रवाई दिनांक 17-4-25 को भेजा है।

डी
रीडर
न्यायालय कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

Made Press

17-04-2025

पत्रावली वेडा हुई। वकील प्राप्ति व
अभाव/गण के वकील उपस्थित है।
वकील प्राप्ति ने प्रकरण श्री आगे नहीं
चलाने का अधन कर नोट प्रेंस किया
है। अतः वकील प्राप्ति द्वारा नोट प्रेंस
किये जाने से धारा 14 सरपेची सबट
के प्रा. पत्र के इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कमी है।

डी
रीडर
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर